श्री गोविन्दराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, इन्दौर

पोमेछा/2025–26/ 1509 दिनांक 20/01/26

22 JAN 2026

सूचना

विषय :– वर्ष 2025–26 के मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थि योजना के नवीन (New) आवेदन के संबंध में।

मध्यप्रदेष शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग, मंत्रालय को संशोधित एकजाई आदेश कमांक एफ5–6/2017/41 (1) दिनांक 18/05/2018 के अंतर्गत "मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना" हेतु वर्ष 2023–24 के लिये प्रावधनो एवं प्रवश नियम एवं मार्गदर्शीका की जानकारी निम्नानुसार है :–

पात्रता की शर्ते :– बी.ई..(बी. टेक)/बी. फार्मा	1) विद्यार्थी मध्यप्रदेश का निवासी हो। 2) विद्याथी की परिवारिक आय सीमा वार्षिक राशि रु 8 लाख । 3) सत्र 2025–26 में बी.ई..(बी.टेक)/बी.फार्मा में प्रवेशित विद्यार्थियो हेतु :– माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 12वी की परीक्षा में 70 प्रतिशत या उससे अधिक एवं सी.बी.एस.ई/आई.सी.एस.ई द्वारा आयोजित 12 वी की परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रो को योजना का लाभ प्राप्त होगा।
लेटरल एन्ट्री के माध्यम से प्रवेशित .(बी. टेक /बी. फार्मा	1) विद्यार्थियो द्वारा लेटरल एन्ट्री के माध्यम से इंजीनियरिंग/फार्मेसी पाठयकम के द्वितीय वर्ष में प्रदेश के केन्द्रीयकृत कॉमन मेरिट सुची में प्रथम 15 प्रतिशत में स्थान प्राप्त किया हो। 3) सत्र 2025–26 में लेटरल एन्ट्री के माध्यम से इंजीनियरिंग/फार्मेसी में प्रवेशित विद्यार्थियो हेतु :– माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10/12वी की परीक्षा में 70 प्रतिशत या उससे अधिक एवं सी.बी.एस. ई/आई.सी.एस.ई द्वारा आयोजित 10/12 वी की परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रो को योजना का लाभ प्राप्त होगा।
आवेदन प्रकिया एंव दस्तावेज	इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये विद्यार्थियो को सर्वप्रथम छात्रवृत्ति पार्टल **www. medhavikalyan.mp.gov.in**पर अपना रजिस्ट्रेशन कर उसके पश्चात ऑन–लाईन आवेदन कर व समस्त दस्तावेज अपलोड कर उसका प्रिन्ट आउट निकालकर निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में जमा करे:– 1) मूल निवासी प्रमाण पत्र 2) जेइइ मेन्स का स्कोर कार्ड 3) आय प्रमाण पत्र (शासकीय सेवक हो तो नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र जिसमें समस्त प्रकार के वेतन, भत्ते, मूल वेतन, महंगाई भत्ता आदि शामिल हो अथवा वर्ष 2024–25 का नियोक्ता द्वारा जारी फार्म 16 ए। अगर माता पिता दोनो कार्यरत हे तो दोनो का अलग–अलग आय प्रमाण पत्र इस आधार पर तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रामण पत्र। 4) प्रथम वर्ष हेतु 10 वी 12 वी व अन्य विद्यार्थी हेतु 10 वी 12 वी व विगत दोनो सेमेस्टर की अंकसुची कि प्रतिलिपि 5) प्रवेश पत्र एवं चालान कि प्रतिलिपि 6) अलॉटमेन्ट (लेटर) पत्र 7) बैंक पास बुक की प्रतिलिपी 8) आधार कार्ड व समर्ग आई.डी की प्रतिलिपि 9) मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजन के ओवदन कि चेक लिस्ट 10) फार्म न 06 (बैंक खाता आधार कार्ड व एमपीसीआई से लिंक हेतु) 11) अगर विद्यार्थी संस्थान के होस्टल में रहता है तो छात्रावास वार्डन का प्रमाण पत्र 12) आवेदन पर आवेदक व उसके पालक क़े हस्ताक्षर। 13) विद्यार्थियो को बैंक खाता **NPCI** एवं **DBT** से लिंक होना आवश्यक है।

3) मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय को संशोधित आदेश कमांक एफ 5–6/2017/42(1) दिनांक 05/06/2018 के बिन्दु कमांक 4.1 अनुसार इस योजनांर्गत लाभ पाने वाले विद्यार्थियो को नियमानुसार विषय तथा पाठयकम को समय–सीमा में पूर्ण करना आवश्यक होगा योजना के लाभ के दौरान किसी विद्यार्थी का सेमेस्ट ब्रेक हो जाता है तो यह लाभ बंद कर दिया जावेगा।

4) वह विद्यार्थी (नवीन/नवीनीकरण) जो उपरोक्त प्रावधानो को पूर्ण करते है व मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थि योजना (छात्रवृत्ति) का लाभ लेना चाहते है को सूचित किया जाता है कि वह समस्त दस्तावेजो सहित अपना आवेदन दिनांक 20/02/2026 तक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति विभाग में जमा करें।

5) वह विद्यार्थी जो आवेदन ऑन–लाईन भरने के पश्चात आवेदन संस्थान में जमा नही करते है तो उस विद्यार्थी को छात्रवृत्ति प्राप्त नही होगी जिसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

6) इस संबंध में शासन के आदेश संशोधित होने पर लागू किये जावेगें। (छात्रवृत्ति आवेदन में भरी जानेवाले वार्षिक शुल्क के विवरण की जानकारी संलग्न है।)

निदेशक

DIRECTOR
S.G.S. Inst. of Tech. & Sc.
INDORE - 452003 (M.P.)

प्रतिलिपिः–

1) समस्त नोटीस बोर्ड 2)संस्थान की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(अधिक जानकारी हेतु कार्यालय में समय प्रातः 10.30 से 1.30 व 2.30 से 5.00 में संपर्क करें।)